

2019

पंचम बोर्ड बैठक
(कार्यवृत्त)

आज दिनांक 13.12.2019 दिन शुक्रवार को जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, उधमसिंह नगर की पंचम बोर्ड बैठक सर्किट हाउस, काठगोदाम जिला—नैनीताल में सम्पन्न हुई। बैठक में उपस्थिति निम्नानुसार रही:-

1. श्री राजीव रौतेला, आयुक्त कुमाऊँ मण्डल नैनीताल —सदस्य
2. डॉ नीरज खेरवाल, जिलाधिकारी, उधमसिंह नगर। —सदस्य
3. श्री बंशीधर तिवारी, उपाध्यक्ष, जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, उधमसिंह नगर। —उपाध्यक्ष
4. श्री टी०लेख्या, मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तराखण्ड देहरादून (पदेन)। —सदस्य
5. श्री बी०पी० काण्डपाल, मुख्य कोषाधिकारी, उधमसिंह नगर। (सचिव वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन देहरादून के प्रतिनिधि पदेन) —सदस्य
6. श्री जय भारत सिंह, नगर आयुक्त, नगर निगम, रुद्रपुर (पदेन)। —सदस्य

बैठक के संचालन एवं सहयोग हेतु उपस्थिति:-

1. श्री पंकज कुमार उपाध्याय, सचिव, जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, उधमसिंह नगर।
2. श्री एस०एम० श्रीवास्तव, सहयुक्त नियोजक, कुमाऊँ सम्भागीय नियोजन खण्ड, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग हल्द्वानी।
3. श्री आनन्द राम, अधिशासी अभियंता, जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, उधमसिंह नगर।
4. श्री हेमन्त सिंह रावत, अवर अभियंता, जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, उधमसिंह नगर।
5. श्री सतपाल सिंह, मुख्य सहायक जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, उधमसिंह नगर।

सर्वप्रथम अध्यक्ष द्वारा उपाध्यक्ष एवं सम्मानित सदस्यों का अभिवादन स्वीकार करते हुए प्राधिकरण की पंचम बोर्ड बैठक प्रारम्भ किये जाने हेतु निर्देशित किया गया। तत्पश्चात् प्रस्तावित बैठक के एजेन्डा बिन्दुओं का क्रमशः प्रस्तुतीकरण प्रारम्भ किया गया। एजेन्डा बिन्दुओं पर निम्नानुसार निर्णय लिया गया :-

विषय क्रमांक-05.01

चतुर्थ बोर्ड बैठक की कार्यवाही की पुष्टि

जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, उधमसिंह नगर की चतुर्थ बोर्ड बैठक दिनांक 28.02.2019 की कार्यवाही बोर्ड के सभी सम्मानित सदस्यों को प्रेषित की गयी। प्रेषित कार्यवाही के सम्बन्ध में किसी भी सदस्य से कोई टिप्पणी/आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है। अतः चतुर्थ बोर्ड बैठक की कार्यवाही तथा अनुपालन आख्या अवलोकित करते हुए पुष्टि की गयी।

विषय क्रमांक -05.02

एकल आवास, व्यवसायिक भवनों, आवासीय भू-उपयोग में व्यवसायिक दुकान तथा आवासीय क्षेत्रों में नर्सिंग होम/क्लीनिक/ओ०फी०डी०/पैथलॉजी लैब/डाईग्नोस्टिक सेन्टर/चाईल्ड केयर/नर्सरी स्कूल कैच एवं प्ले ग्रुप को एक बार समाधान योजना के तहत शमन/विनियमितिकरण किये जाने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक शासनादेश संख्या-1152/V-2-2019-105(आ०)/2013 टी०सी० दिनांक 27.08.2019 एवं 1272/V-2-2019-83(आ०)/2018 टी०सी० आवास अनुभाग-02 दिनांक 13.09.2019 (परिशिष्ट-03) द्वारा उक्त योजना को दिनांक 27.08.2019 से प्रारम्भ कर दिनांक 31.12.2019 तक पूर्ण किया जाना है। शासन द्वारा प्रख्यापित नियमावली में शमन सम्बन्धी पूर्व की व्यवस्थाओं के सापेक्ष संशोधित प्राविधान प्रस्तावित करते हुए आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिये गये हैं। उक्त नियमावली के नियम संख्या “5 अन्य प्राविधान” के तहत प्रस्तर-2(7) में निर्देश दिये गये हैं कि उपरोक्त उपविधि के प्रावधान/मानकों का विकास प्राधिकरण बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त करते हुए अंगीकार किया जायेगा तथा रथानीय आवश्यकताओं के दृष्टिगत यदि इनमें किसकी परिष्कार की आवश्यकता हो तो बोर्ड की संस्तुति सहित प्रस्ताव शासन के विचारार्थ उपलब्ध कराया जायेगा।

उक्त शासनादेश अंगीकृत करने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत।

कार्यवाही:- प्रस्ताव पर विचार-विमर्श किया गया। शासनादेश संख्या-1152/V-2-2019-105(आ०)/2013 टी०सी० दिनांक 27.08.2019 एवं 1272/V-2-2019-83(आ०)/2018 टी०सी० आवास अनुभाग-02 दिनांक 13.09.2019 को सर्वसम्मति से अंगीकृत करने का निर्णय लिया गया एवं एकल समाधान योजना के लिये व्यापक रूप से प्रचार-प्रसार कराने के निर्देश दिये गए तथा यह भी निर्देश दिये गए कि उक्त योजना के समय विस्तार हेतु शासन से अनुरोध कर लिया जाय।

विषय क्रमांक-05.03

शमन के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-2281/9-आ-1-96-6 डी० ए०/०१ वर्ष 1998 एवं 3686/श०विं०आ०-०३-५२(सामान्य)/2003 की व्यवस्था के अनुसार कार्यवाही किए जाने के सम्बन्ध में।

उत्तराखण्ड शासन देहरादून के शासनादेश संख्या-41/V-2-2017-105(आ०)2013 टी०सी० दिनांक 15.01.2019 एवं शासनादेश संख्या-1152/V-2-2019-105(आ०)/2013 टी०सी० दिनांक 27.08.2019 एवं 1272/V-2-2019-83(आ०)/2018 टी०सी० आवास अनुभाग-02 दिनांक 13.09.2019 द्वारा एक बार समाधान योजना लागू की गयी है। इस सम्बन्ध में प्रस्ताव है कि प्राधिकरण की प्रथम बोर्ड बैठक के निर्णय मद संख्या-01.11 को अवक्षित करते हुए शमन के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-2281/9-आ-1-96-6 डी० ए०/०१ वर्ष 1998 एवं 3686/श०विं०आ०-०३-५२(सामान्य)/2003 (परिशिष्ट-04) की व्यवस्था के अनुसार कार्यवाही की सम्पादित की जाय।

उपरोक्तानुसार प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष संस्तुति सहित स्वीकृति हेतु प्रस्तुत।

कार्यवाही:- प्रस्ताव पर विचार-विमर्श किया गया। शमन के सम्बंध में शासनादेश संख्या-2281/9-आ-1-96-6 डी० ए०/०१ वर्ष 1998 एवं 3686/श०वि०आ०-०३-५२(सामान्य)/2003 की व्यवस्था के अनुसार कार्यवाही की सम्पादित किए जाने का सर्वसम्मति से निर्णय दिया गया तथा उपाध्यक्ष एवं सचिव स्तर से इसकी नियमित रूप से मानिटरिंग किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

विषय क्रमांक-05.04

बड़े भूखण्ड में प्रस्तावित आंशिक भू-भाग पर प्रस्तावित निर्माण/परियोजना के क्रम में काल्पनिक भूखण्ड की परिकल्पना करते हुए प्रस्तावित भू-भाग पर सब-डिविज़न चार्ज आरोपण के सम्बंध में।

उत्तराखण्ड शासन द्वारा जनपद उधमसिंह नगर के सम्पूर्ण भू-भाग को शासनादेश/अधिसूचना के माध्यम से जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण उधमसिंह नगर का विकास क्षेत्र घोषित किया गया। विकास प्राधिकरण क्षेत्रान्तर्गत कई ऐसे प्रकरण आते हैं, जिनमें आवासीय भवन निर्माण हेतु प्रस्तावित मानचित्र के भू-स्वामी के नाम पर काफी वृहद भूखण्ड/भूमि दर्ज होती है, जबकि इनके द्वारा सात्र छोटे भू-भाग में एकल आवास के निर्माण स्वयं के रहने के लिए अथवा व्यवसाय आदि के लिए प्रस्ताव दिया जाता है एवं अवशेष भूखण्ड पर किसी प्रकार की निर्माण/विकास गतिविधि नहीं की जाती है। ऐसी स्थिति में प्राधिकरण द्वारा नियमों के अन्तर्गत सम्पूर्ण भू-भाग/भू-खण्ड पर उपविभाजन शुल्क आरोपित किया जाता है, जो काफी अधिक धनराशि आती है एवं आवेदक द्वारा इतनी बड़ी धनराशि को जमा करने में असमर्थता व्यक्त की जाती है।

अतः प्रस्ताव है कि उपविभाजन शुल्क की गणना हेतु एक काल्पनिक भूखण्ड सम्बंधित निर्माण के लिए मानते हुए जिसमें सेटबैंक, भू-आच्छादन आदि प्रचलित भवन उपविधि के अनुसार हों। ऐसे काल्पनिक भूखण्ड के क्षेत्रफल पर उपविभाजन शुल्क आरोपित किया जाये जिस कारण आवेदक पर अनावश्यक रूप से वित्तीय भार ना पड़े एवं मानचित्र स्वीकृति प्राधिकरण द्वारा दी जा सके। काल्पनिक भूखण्ड की चाहर-दीवारी का निर्माण आवश्यक होगा।

उपरोक्तानुसार प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष संस्तुति सहित स्वीकृति हेतु प्रस्तुत।

कार्यवाही:- प्रस्ताव पर गहन विचार-विमर्श किया गया एवं प्रस्ताव पर सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान करने का निर्णय लिया गया, उक्त प्रस्ताव पर केवल एकल आवास हेतु स्वीकृति देने हेतु शासन को प्रस्ताव प्रेषित किया जाना उचित होगा।

विषय क्रमांक-05.05

जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, उधमसिंह नगर में मुख्य वित्त अधिकारी का पद सृजन के सम्बंध में।

जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, उधमसिंह नगर का गठन अधिसूचना संख्या-1811/V-2/2017-05(आ०)/2017 दिनांक 13.09.2017 के माध्यम से उत्तराखण्ड शासन द्वारा किया गया। इसके उपरान्त जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, उधमसिंह नगर के मुख्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालयों के सुचारू संचालन हेतु शासनादेश संख्या-1816/V-2/2017-05(आ०)/2017 दिनांक 13.09.2017 के द्वारा जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, उधमसिंह नगर का ढाँचा अनुमोदित किया गया।

यहाँ यह भी अवगत करना है कि उक्त शासनादेश में जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, उधमसिंह नगर के वित्त अनुभाग के अन्तर्गत मात्र लेखाकार एवं सहायक लेखाकार के पद सृजित कर अनुमोदित किये गये हैं। जैसा कि ज्ञात है जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, उधमसिंह नगर के वित्तीय लेन-देन के कार्यों के अनुसार काँफी वृहद

प्राधिकरण है एवं जिस पर भविष्य में भी वृद्धि की सम्भावना है। फिलहाल कार्यों के संचालन हेतु जिलाधिकारी उधमसिंहनगर के आदेश दिनांक 22.12.2017 के तहत मुख्य कोषाधिकारी उधमसिंह नगर द्वारा ही वित सम्बंधी कार्यों को सम्पादित कराया जा रहा है परन्तु वित अनुभाग के अन्तर्गत शीर्ष पर वरिष्ठ अधिकारी के पद की आवश्यकता है।

अतः प्रस्ताव है कि शासन स्तर से जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, उधमसिंहनगर में वित नियंत्रक/मुख्य वित अधिकारी का पद सृजित एवं अनुमोदित कराते हुए वित से सम्बंधित सम्पूर्ण कार्य/औपचारिकताएँ उक्त अधिकारी की देख-रेख में किया जाना उचित होगा।

उपरोक्तानुसार प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष संस्तुति सहित स्वीकृति हेतु प्रस्तुत। (परिशिष्ट-05)

कार्यवाही:- प्रस्ताव पर चर्चा उपरान्त यह निर्णय दिया गया कि प्रकरण पर बोर्ड की संस्तुति सहित शासन को प्रेषित किया जाय।

विषय क्रमांक-05.06

ऐसी अनाधिकृत कालौनियों जिनमें प्राधिकरण गठन से पूर्व विक्य पत्र निष्पादित हो चुके हैं, में 5 प्रतिशत सबडिविजन चार्ज लेते हुए मानचित्रों की स्वीकृति प्रदान किये जाने के सम्बंध में।

प्रस्ताव का कारण- उत्तराखण्ड में रेसा गठन के पश्चात बिना रेसा रजिस्टर्ड कालौनियों में शासन द्वारा अवैध विक्य पत्रों के निष्पादन पर सोक लगाई गयी थी, परन्तु विक्यकर्ताओं द्वारा रेसा के अन्तर्गत न होने का शपथ पत्र देते हुए रजिस्ट्री कराई जाती है, जिसके कारण शासन के आदेशों का दुरुपयोग हो रहा है।

जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण उधमसिंह नगर के विकास क्षेत्रान्तर्गत बहुत सी जनता ऐसे मानचित्र लेकर प्राधिकरण में स्वीकृति हेतु आते हैं, जिनके द्वारा भूखण्ड, प्राधिकरण गठन से पूर्व की काटी गयी बिना तलपट मानचित्र स्वीकृत कालौनियों में क्य कर लिये गये हैं जिनमें से कालौनियों के बाद भी विकास प्राधिकरण में विचाराधीन है तथा कालौनाईजर द्वारा भूखण्डों की बिकी कर कालौनी को छोड़ दिया गया है। इस कारण से आम-जनता मानचित्र स्वीकृत न हो पाने के कारण परेशान होती है। मसूरी विकास प्राधिकरण द्वारा ऐसे स्थल जहाँ 50 से 60 प्रतिशत भूखण्ड पर भवन निर्मित हो चुके हैं। ऐसी कालौनियों में 5 प्रतिशत सबडिविजन चार्ज लेते हुए मानचित्र स्वीकृत किये जाने के प्रस्ताव को बोर्ड द्वारा स्वीकृत किया जा चुका है। (परिशिष्ट- 06)

अतः प्रस्ताव है कि ऐसी अनाधिकृत कालौनियों जिनमें प्राधिकरण गठन से पूर्व विक्य पत्र निष्पादित हो चुके हैं, एवं कालौनी का भू-उपयोग महायोजना में आवासीय अन्तर्गत हो, में 5 प्रतिशत सबडिविजन चार्ज लेते हुए भवन उपविधि के मानकों के अनुसार मानचित्रों की स्वीकृति प्रदान की जाये।

अतः प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष संस्तुति सहित स्वीकृति हेतु प्रस्तुत।

कार्यवाही:- प्रस्ताव पर गहन विचार-विमर्श किया गया। अनाधिकृत कालौनियों के सम्बंध में विस्तृत अध्ययन कर मसूरी देहादून विकास प्राधिकरण से भी अनाधिकृत कालौनियों में 05 प्रतिशत उप-विभाजन शुल्क के सम्बंध में प्राधिकरण के अनुभव को भी सम्मिलित करते हुए प्रस्ताव पुनः आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत किया जाए।

विषय क्रमांक-05.07

रुद्रपुर में प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत एफ०सी०आई० गोदाम के सामने 1872 ई०डब्लू०एस० भवनों के निर्माण के सम्बंध में।

रुद्रपुर में प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत एफ०सी०आई० गोदाम के सामने 1872 ई०डब्लू०एस० भवनों का निर्माण उडा देहरादून द्वारा किये जाने की प्रक्रिया गतिमान थी। उक्त परियोजना को वर्तमान में उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण देहरादून द्वारा अपने कार्यालय पत्र संख्या-709/उडा-183/2017-18 दिनांक 30.10.2019 के माध्यम से परियोजना पत्रावली जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण उधमसिंह नगर को अग्रेतर कार्यवाही हेतु अन्तरित की गयी है जो कि इस कार्यालय में दिनांक 22.11.2019 को प्राप्त है। प्रश्नगत परियोजना में ई०डब्लू०एस० भवनों के निर्माण हेतु कार्यदायी संस्था Wapcos द्वारा Monolithic Construction तकनीक से परियोजना की डी०पी०आर० तैयार की गयी है।

अतः इस सम्बंध में प्रस्ताव है कि विषय विशेषज्ञ Wapcos की दरों के आधार पर भारत सरकार की दक्ष ऐजेन्सियों से दरें प्राप्त कर ली जायें। जिस ऐजेन्सी की न्यूनतम दर प्राप्त हो उसे उक्त परियोजना हेतु अनुबन्धित कर लिया जाय। इस हेतु जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण उधमसिंह नगर में एक समिति जिसके सदस्य सचिव जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण उधमसिंह नगर, मुख्य वित्त अधिकारी/मुख्य कोषाधिकारी रुद्रपुर, अधिशासी अभियंता जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण उधमसिंह नगर होंगे, गठित किये जाने का प्रस्ताव है।

कार्यवाही:- प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान जिलाधिकारी उधमसिंह नगर द्वारा एफ०सी०आई० गोदाम के सामने 1872 ई०डब्लू०एस० भवनों के निर्माण की परियोजना के सम्बंध में आपत्ति की गयी एवं यह भी अवगत कराया कि इस सम्बंध में उनके द्वारा पूर्व में शासन को पत्र प्रेषित किया गया है। निर्णय लिया गया कि शासन से दिशा-निर्देश प्राप्त होने के उपरान्त अग्रेतर कार्यवाही की जाए। अतः जिलाधिकारी उधमसिंह नगर का पत्र अग्रिम कार्यवाही हेतु शासन को प्रेषित किया जाय।

विषय क्रमांक-05.08

श्री सुनीत राणा पुत्र श्री मुनीश राणा एवं मुनीश राणा पुत्र श्री अतरपाल निवासी ग्राम चक्रपुर तहसील बाजपुर जिला उधमसिंह नगर के खसरा नं०-७७/३ मि० रकबा-१३४०.०० वर्गमी० भूखण्ड का शैक्षिक भू-उपयोग से व्यवसायिक भू-उपयोग में परिवर्तन किये जाने के सम्बंध में।

श्री सुनीत राणा पुत्र श्री मुनीश राणा एवं मुनीश राणा पुत्र श्री अतरपाल द्वारा निवासी ग्राम चक्रपुर तहसील बाजपुर जिला उधमसिंह नगर के खसरा नं०-७७/३ मि० रकबा-१३४०.०० वर्गमी० भूखण्ड पर व्यवसायिक शमन मानचित्र एकल समाधान योजना के तहत इस कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है। प्रश्नगत स्थल बेरिया दौलत-बाजपुर चौडे १८.०० मी० महायोजना मार्ग पर स्थित है। उक्त स्थल का महायोजना में शैक्षिक भू-उपयोग के अन्तर्गत दर्शित है। आवेदक द्वारा यह अवगत कराया गया है कि प्रश्नगत स्थल पर पूर्व में आवेदक के निवास का मानचित्र नियत प्राधिकारी विनियमित क्षेत्र से स्वीकृत था। आवेदक द्वारा यह अनुरोध किया गया है कि उनके भूखण्ड का भू-उपयोग शैक्षिक से व्यवसायिक भू-उपयोग में परिवर्तन कर दिया जाय। चूंकि पूर्व में स्थल पर आवासीय भवन भी स्वीकृत हैं। शासनादेश संख्या-१८९५/V/आ०-२०१६-११(एल०य०सी०)/०३-२०१६ दिनांक २८.१२.२०१६ के अनुसार सामुदायिक सुविधाओं शैक्षिक से व्यवसायिक भू-उपयोग परिवर्तन 100% भू-उपयोग परिवर्तन देय शुल्क सहित अनुमत्य है। उक्त

शासनादेश के अनुसार प्राधिकरण बोर्ड के माध्यम से शासन को भू-उपयोग परिवर्तन हेतु प्रस्ताव प्रेषित किये जाने का प्राविधान है। (परिशिष्ठ-07)

अतः खसरा संख्या-77/3 के रकवा-1340.00 को शैक्षिक भू-उपयोग से व्यवसायिक भू-उपयोग में परिवर्तन हेतु आवास विभाग को प्राधिकरण बोर्ड के माध्यम से प्रस्ताव प्रेषित किए जाने हेतु प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

कार्यवाही:- प्रस्ताव पर गहन विचार-विमर्श किया गया / जिसमें यह निर्णय लिया गया कि आवेदक को अवगत करा दिया जाए कि वे सहयुक्त नियोजक नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के हल्द्वानी स्थित कार्यालय में भी अपना आवेदन प्रस्तुत करें। मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक की तकनीकी राय/अभियोग प्राप्त होने के उपरान्त प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया जाए।

विषय क्रमांक-05.09

श्री हिमांशु वंसल पुत्र श्री ज्ञान चन्द्र वंसल द्वारा ग्राम रम्पुरा के खसरा संख्या 40/2 मिन 0.5947 हेठला, खसरा संख्या 40/4/5 मिन रकवा 0.3552 हेठला कुल रकवा 0.9499 हेठला मध्ये 3561.20 वर्गमी० में नर्सिंग होम के निर्माण के मानचित्र के सम्बन्ध में।

आवेदक श्री हिमांशु वंसल पुत्र श्री ज्ञान चन्द्र वंसल द्वारा ग्राम रम्पुरा तहसील रुद्रपुर के खसरा संख्या 40/2 मिन 0.5947 हेठला, खसरा संख्या 40/4/5 मिन रकवा 0.3552 हेठला कुल रकवा 0.9499 हेठला मध्ये 3561.20 वर्गमी० में नर्सिंग होम के निर्माण की अनुमति हेतु आवेदन किया गया है, किन्तु निर्माण स्वीकृति प्राप्त होने से पूर्व कर लिया गया है। आवेदक द्वारा दिनांक 20.09.2016 को उक्त निर्माण को कम्पाउन्ड कर स्वीकृत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

प्रश्नगत प्रकरण प्राधिकरण की विगत बोर्ड बैठक में विषय क्रमांक 4.14 पर रखा गया था, जिस पर बोर्ड द्वारा विचार-विमर्श उपरान्त निर्णय लिया गया कि उक्त प्रस्ताव पर प्राधिकरण स्तर से पुनः परीक्षण कर आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत किया जाये। अवगत कराना है कि वर्तमान में शासनादेश संख्या 1152/V-2-2019-105(आ०)/2013 टी०सी० दिनांक 27.08.2019 एवं 1272/V-2-2019-83(आ०)/2018 टी०सी० आवास अनुभाग-02 दिनांक 13.09.2019 के अनुसार एकल समाधान योजना लागू की गयी एवं उपरोक्त निर्माण उक्त योजना से आच्छादित होता है।

अतः प्रकरण को बोर्ड के ऐजेन्डा से समाप्त करते हुए एकल समाधान योजना के अन्तर्गत निस्तारित किये जाने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत है।

कार्यवाही:- प्रस्ताव पर विचार-विमर्श उपरान्त सहमति व्यक्त की गयी। निर्णय दिया गया कि आवेदक को एकल समाधान योजना के अन्तर्गत आवेदन कर सकते हैं एवं ऐजेन्डा से प्रकरण समाप्त किया जाता है।

विषय क्रमांक-05.10

श्री अमित कुमार व सौरभ कुमार पुत्र स्व० श्री सोमनाथ तथा श्रीमती कृष्णा रानी निवासी ग्राम फुलसुंगा रुद्रपुर द्वारा आवासीय भू-उपयोग के अन्तर्गत 24.00 मी० चौड़े महायोजना मार्ग पर व्यवसायिक भवन द्वारा खेत संख्या-37/5 मिठा में मानचित्र स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।

श्री अमित कुमार व सौरभ कुमार पुत्र स्व० श्री सोमनाथ तथा श्रीमती कृष्णा रानी निवासी ग्राम फुलसुंगा रुद्रपुर जिला उधमसिंह नगर के खसरा नं०-37/5मिठा रकवा- 2117.76 वर्गमी० भूखण्ड पर व्यवसायिक भवन मानचित्र की स्वीकृति हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रश्नगत स्थल रुद्रपुर महायोजना के अन्तर्गत 24.00 मी० चौड़े महायोजना मार्ग से लगा हुआ है। स्थल का भू-उपयोग आवासीय के अन्तर्गत है। परिक्षेत्रीय विनियमन के

अनुसार आवासीय क्षेत्रों में 24.00 मी० एवं इससे अधिक चौड़े वर्तमान एवं प्रस्तावित मार्गों के मार्गाधिकार से भू-खण्ड को पहुँच उपलब्ध होने की रिप्टि में बहुमंजलीय व्यवसायिक भवन, मल्टीप्लैक्स, शॉपिंग मॉल, सुपर मार्केट अनुमन्य होंगे। ऐसे भूखण्ड का न्यूनतम क्षेत्रफल 1000 वर्गमी० अनुमन्य होगा। अवगत कराना है कि इस क्षेत्र में जन-सामान्य हेतु कोई भी सुव्यवस्थित शापिंग सेन्टर/मल्टीरस्टोरी व्यवसायिक भवन नहीं है। अतः उक्त व्यवसायिक भवन से क्षेत्र का सुनियोजित विकास होने के साथ-साथ जन-सामान्य को उपयोग की वस्तुओं, अन्य सामान आदि हेतु सुविधा होगी। उक्त व्यवसायिक भवन के निर्माण से आस-पास के क्षेत्र में कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा।

चूंकि प्रस्तावित व्यवसायिक निर्माण 24.00 मी० महायोजना मार्ग से लगा हुआ है तथा जिसका भूखण्ड क्षेत्रफल 1000 वर्गमी० से अधिक अर्थात् 2117.76 वर्गमी० है तथा महायोजना रुद्रपुर के परिक्षेत्रीय विनियमन के बिन्दु संख्या- 6.1.1 ख(16) के अन्तर्गत प्राधिकरण बोर्ड की अनुमति से प्रस्तावित कार्य व्यवसायिक भवन निर्माण अनुमन्य है।

अतः प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष संस्तुति सहित स्वीकृति हेतु प्रस्तुत।

कार्यवाही:- प्रस्ताव पर विचार-विमर्श उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि उक्त प्रस्ताव पर पुनः परीक्षण कर स्थलीय निरीक्षण आख्या एवं तकनीकी आख्या तथा सहयुक्त नियोजक नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, हल्द्वानी की आख्या सहित आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत किया जाए।

विषय क्रमांक-05.11

श्री अमनप्रीत सिंह पुत्र श्री जसप्रीत सिंह निवासी बिगवाड़ा रुद्रपुर द्वारा ग्राम कोलड़िया तहसील रुद्रपुर जनपद उधमसिंह नगर के खेत संख्या-195 मी० तथा 196 मी० में आवासीय भू-उपयोग के अन्तर्गत 60.00 मी० चौड़े महायोजना मार्ग पर बहुमंजिला व्यवसायिक भवन में मानचित्र स्वीकृत किये जाने के सम्बंध में।

श्री अमनप्रीत सिंह पुत्र श्री जसप्रीत सिंह निवासी बिगवाड़ा रुद्रपुर द्वारा ग्राम कोलड़िया तहसील रुद्रपुर जनपद उधमसिंह नगर के खेत संख्या-195 मी० तथा 196 मी० में आवासीय भू-उपयोग के अन्तर्गत 60.00 मी० चौड़े महायोजना मार्ग पर बहुमंजिला व्यवसायिक भवन में मानचित्र स्वीकृत हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रश्नगत स्थल रुद्रपुर महायोजना के अन्तर्गत 24.00 मी० चौड़े महायोजना मार्ग से लगा हुआ है। स्थल का भू-उपयोग आवासीय के अन्तर्गत है। परिक्षेत्रीय विनियमन के अनुसार आवासीय क्षेत्रों में 24.00 मी० एवं इससे अधिक चौड़े वर्तमान एवं प्रस्तावित मार्गों के मार्गाधिकार से भू-खण्ड को पहुँच उपलब्ध होने की रिप्टि में बहुमंजलीय व्यवसायिक भवन, मल्टीप्लैक्स, शॉपिंग मॉल, सुपर मार्केट अनुमन्य होंगे। ऐसे भूखण्ड का न्यूनतम क्षेत्रफल 1000 वर्गमी० अनुमन्य होगा। अवगत कराना है कि इस क्षेत्र में जन-सामान्य हेतु कोई भी सुव्यवस्थित शापिंग सेन्टर/मल्टीरस्टोरी व्यवसायिक भवन नहीं है। प्रस्तावित स्थल रुद्रपुर शहर से लगभग 3 किमी० दूर काशीपुर रोड की ओर है। आगेदक द्वारा नियोजित रूप से प्रश्नगत स्थल के पृष्ठ भाग में आवासीय कालौनी का भी विकास किया जाना है। प्रस्तावित स्थल एन०एच० 74 पर स्थित है, जिससे यातायात पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अतः उक्त बहुमंजिले व्यवसायिक भवन से क्षेत्र का सुनियोजित विकास होने के साथ-साथ जन-सामान्य को दैनिक उपयोग की वस्तुओं, अन्य सामान आदि हेतु सुविधा होगी। चूंकि प्रस्तावित व्यवसायिक निर्माण 60.00 मी० महायोजना मार्ग से लगा हुआ है तथा जिसका भूखण्ड क्षेत्रफल 1000 वर्गमी० से अधिक अर्थात् 6072.00 वर्गमी० है तथा महायोजना रुद्रपुर के परिक्षेत्रीय विनियमन के बिन्दु संख्या- 6.1.1 ख(16) के अन्तर्गत प्राधिकरण बोर्ड की अनुमति से प्रस्तावित कार्य बहुमंजिला व्यवसायिक भवन निर्माण अनुमन्य है।

अतः प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष संस्तुति सहित स्वीकृति हेतु प्रस्तुत।

कार्यवाही:- प्रस्ताव पर विचार-विमर्श उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि उक्त प्रस्ताव पर पुनः परीक्षण कर स्थलीय निरीक्षण आख्या एवं तकनीकी आख्या तथा सहयुक्त नियोजक नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, हल्द्वानी की आख्या सहित आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत किया जाए।

विषय क्रमांक-05.12

श्री मुकेश कुमार महरोत्रा पुत्र श्री गोपाल कृष्ण महरोत्रा निवासी मकान नं०-०८ कतरिया तहसील काशीपुर जिला उधमसिंह नगर द्वारा खसरा नं०-३५०मि० ग्राम कचनालगाजी तथा ०३ मि० ग्राम नीझड़ा तहसील काशीपुर उधमसिंह नगर में भण्डारकर मानचित्र स्वीकृति के सम्बंध में।

श्री मुकेश कुमार महरोत्रा पुत्र श्री गोपाल कृष्ण महरोत्रा द्वारा ग्राम कचनालगाजी तहसील काशीपुर के खसरा नं०-३५०मि० में प्रस्तावित भण्डारकर के निर्माण हेतु मानचित्र स्वीकृति हेतु इस कार्यालय को प्रस्तुत किया गया। मानचित्र पत्रावली पर सहयुक्त नियोजक नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग हल्द्वानी के पत्र संख्या-८२९ के अनुसार महायोजना २०११ में खसरा नं० ३ का आंशिक भाग प्रस्तावित महायोजना मार्ग भू-उपयोग के अन्तर्गत आता है। प्रश्नगत स्थल का संयुक्त रूप से पैमार्ईश करायी गयी जिसमें यह पाया गया कि राजस्व मानचित्र, महायोजना मानचित्र में दर्शित दूरी व स्थल की वास्तविक दूरी में काफी भिन्नता आती है। मौके पर प्रत्यावित मार्ग अभी तक निर्मित नहीं है और न ही किसी विभाग द्वारा अधिग्रहण किया गया है। काशीपुर महायोजना २०११ तक के लिए बनी थी, जो कि वर्तमान में यथावत लागू है एवं काशीपुर हेतु नई महायोजना बनाने का कार्य प्रगति पर है।

प्रश्नगत प्रस्तावित महायोजना मार्ग पर पड़ने वाली भूमि निजी स्वामियों की भूमि है। चूंकि प्रस्तावित महायोजना मार्ग हेतु अभी तक अधिग्रहण नहीं हुआ है और न ही सड़क निर्मित है तथा प्रस्तावित महायोजना मार्ग स्थल पर कतिपय भवन भी निर्मित हो चुके हैं।

अतः उक्त प्रस्तावित महायोजना मार्ग को समाप्त करते हुए अन्यत्र से महायोजना मार्ग प्रस्तावित किये जाने हेतु शासन को बोर्ड के माध्यम से प्रस्तावित किए जाने की संस्तुति की जाती है।

कार्यवाही:- प्रस्ताव पर विचार-विमर्श किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध समिति की संयुक्त स्थल निरीक्षण आख्या दिनांक ३०.०५.२०१९ का अवलोकन किया गया। उक्त आख्या में समिति द्वारा अपनी संस्तुति अकित नहीं की गयी है। अतः प्रस्ताव पर पुनः परीक्षण कर समिति की संस्तुति सहित आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत किया जाए ताकि प्रकरण अग्रेतर कार्यवाही हेतु शासन को सन्दर्भित किया जा सके।

विषय क्रमांक –०५.१३

श्री रजनीश सिंगला एवं श्री रेवती रमन सिंगला द्वारा खेत सं० १९१ मि० ग्राम दानपुर, रुद्रपुर जिला-उधमसिंह नगर में नेट भू-खण्ड क्षेत्रफल ९४१६.९७ वर्गमी० में प्रस्तावित व निर्मित व्यवसायिक भवन(योगा सेन्टर) मानचित्र की स्वीकृति के सम्बंध में।

श्री रजनीश सिंगला एवं श्री रेवती रमन सिंगला द्वारा खेत सं० १९१ मि० ग्राम दानपुर, रुद्रपुर जिला-उधमसिंह नगर द्वारा पत्रावली संख्या-३७८/२०१९-२० दिनांक २०.०९.२०१८ को स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया गया। आवेदक द्वारा स्वीकृति से पूर्व स्थल पर अवैध निर्माण किये जाने के कारण कार्यालय द्वारा वाद संख्या-२०३८/२०१८ दिनांक १४.०९.२०१८ को दायर किया गया, जो सुनवाई की प्रक्रिया में गतिमान है। प्रश्नगत स्थल रुद्रपुर महायोजना २०३१ में सामुदायिक सुविधाएँ भू-उपयोग के अन्तर्गत दर्शाया गया है, जबकि आवेदक का मानचित्र प्रस्तावित व निर्मित व्यवसायिक भवन (योगा सेन्टर) हेतु कुल भूखण्ड क्षेत्रफल सड़क सीमा के उपरान्त ९४१६.९७ वर्गमी० है। रुद्रपुर महायोजना परिक्षेत्रीय विनियम के अनुसार २४.०० मी० एवं इससे अधिक चौड़े वर्तमान एवं प्रस्तावित मार्गों के मार्गाधिकार से भूखण्ड को पहुँच उपलब्ध होने की स्थिति में बहुमंजिल व्यवसायिक भवन मल्टीप्लैक्स, शापिंग मॉल, सुपरमार्केट अनुमन्य होंगे। ऐसे भूखण्ड का न्यूनतम क्षेत्रफल १००० वर्गमी० अनुमन्य होगा को नियंत्रक प्राधिकारी (प्राधिकरण बोर्ड) की अनुमति के उपरान्त किया जा सकता है। प्रश्नगत स्थल रुद्रपुर, काशीपुर नेशनल हाईवे से ८००.०० मी० भीतर दानपुर दिनेशपुर रोड, जो ६०.०० मी० महायोजना मार्ग पर स्थित है।

भवन उपविधियों में दिये गये प्राविधिकों के अनुसार प्रस्तावित मानचित्र में तकनीकी विन्दुओं पर आख्या निम्न प्रकार है-

	उपविधियों के अनुसार अनुमन्य	मानचित्र के अनुसार
FSB	12.00 मी0	12.00 मी0
RSB	6.00 मी0	6.00 मी0
S1	6.00 मी0	6.00 मी0
S2	6.00 मी0	6.00 मी0
Height of House	16	12
FAR	2.20	0.133
Parking	32 ECS	32 ECS

प्रस्तावित निर्माण की स्वीकृति दिये जाने से रुद्रपुर नगर में जन-सामान्य की सुविधा के लिये योगा सेन्टर हो सकेगा जो कि उत्तराखण्ड में योग को प्रोत्साहन मिल सकेगा तथा इस निर्माण से क्षेत्र में कोई नकरात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा।

उपरोक्तानुसार प्रस्तावित/निर्मित निर्माण की अनुमति प्राधिकरण बोर्ड द्वारा अनुमन्य की जा सकती है। प्राधिकरण बोर्ड की स्वीकृति की दशा में प्रकरण का निस्तारण मौके पर हुए निर्माण को नियमानुसार शमन करते हुए निस्तारण किया जायेगा।

अतः प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष संस्तुति सहित स्वीकृति हेतु प्रस्तुत।

कार्यवाही:- प्रस्ताव पर विचार-विसर्जन उपरान्त स्वीकृति प्रदान की गयी। प्राधिकरण भवन उपविधियों के आलोक में अग्रिम कार्यवाही करें।

विषय क्रमांक - 05.14

श्री रोहिदास हरिभाऊ मोरे पुत्र श्री हरिभाऊ नारायण मोरे, श्री रंजीत रोहिदास मोरे पुत्र श्री रोहिदास हरिभाऊ मोरे, अमिजीत हरिदास मोरे पुत्र श्री रोहिदास हरिभाऊ मोरे के ग्राम लालपुर तहसील रुद्रपुर के खसरा नं० 114 मिन, 117 मिन, 120 मिन रकवा 13641.96 वर्गमी० में कमर्शियल कॉम्प्लेक्स के मानचित्र के सम्बन्ध में

आवेदकगण द्वारा ग्राम लालपुर के खसरा नं० 114 मिन, 117 मिन, 120 मिन कमर्शियल कॉम्प्लेक्स निर्माण की अनुमति चाही गयी है। प्रश्नगत भू-खण्ड रुद्रपुर महायोजना 2031 में औद्योगिक भू-उपयोग के अन्तर्गत है। जोनिंग रेगुलेशन के अनुसार इस भू-उपयोग में 24.00 मी० चौड़े पहुँच मार्ग पर बहुमंजिले व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स के निर्माण की प्राधिकरण बोर्ड की अनुमति के उपरान्त स्वीकृति दी जा सकती है। प्रस्तावित स्थल 60 मी० चौड़े महायोजना मार्ग से सटा है, अतः बोर्ड की अनुमति उपरान्त प्रस्तावित निर्माण की अनुमति दी जा सकती है। प्रस्तावित मानचित्र में दस्मिट में पर्किंग, लोअर भूतल, उपर भूतल एवं प्रथम तल पर दुकानें, द्वितीय तल पर आफिस तथा तृतीय तल पर स्टोरेज एवं आफिस के प्रस्ताव दिये गये हैं। प्रस्तावित मानचित्र में सैटबैक, भू-आच्छादन, एफ०ए०आर० नियमानुसार है। मानचित्र की जाँच सहयुक्त नियोजक हल्द्वानी द्वारा की गई है। अन्य बॉछित विभागों अग्निशमन अधिकारी, जल संरक्षण, विद्युत विभाग, एन०एच०ए०आई० विभाग एवं तहसीलदार रुद्रपुर से अनापत्ति प्राप्त है, जो संलग्न है।

रुद्रपुर महायोजना-2031 में प्रस्तावित स्थल औद्योगिक भू-उपयोग के अन्तर्गत है। जोनिंग रेगुलेशन के बिन्दु ५१३(य)(२२) में नियंत्रक प्राधिकारी की अनुमति उपरान्त अनुमन्य उपयोग के अन्तर्गत प्राविधिकानि है कि " २४ मी० एवं उसमें अधिक चौड़े एवं दर्तमान मार्गों के मार्गाधिकार से भूखण्ड को पहुँच उपलब्ध होने की रिति में बहुमंजिले व्यवसायिक भवन मल्टी प्लॉक्स, शॉपिंग मॉल, सुपर मार्केट अनुमन्य होंगे। ऐसे भूखण्ड को न्यूनतम क्षेत्रफल १०० मर्गमी० अनुमन्य होगा।" प्रस्तावित स्थल को 60 मी० चौड़े मार्ग से पहुँच उपलब्ध है। नेट भूखण्ड क्षेत्रफल 13641.96 मर्गमी० है।

प्रस्तावित मानचित्र की जाँच की गयी। मानकों के अनुसार जाँच निम्नानुसार है:-

मानक	आवश्यक	प्रस्तावित
पहुँच मार्ग	24.00 मी० न्यूनतम	60 मी० महायोजना मार्ग
भू-आच्छादन	40 प्रतिशत अधिकतम	17.10 प्रतिशत
एफ०ए०आर०	2.20 अधिकतम	0.61
फन्ट सेटबैक	12.00 मी०	12.00 मी०
साईड-1 सेटबैक	6.00 मी०	9.15 मी०
साईड-2 सेटबैक	6.00 मी०	9.15 मी०
रेयर सेटबैक	6.00 मी०	9.00 मी०
पार्किंग एरिया	5250.00 वर्गमी०	5647.03 वर्गमी०

प्रस्तावित निर्माण की स्वीकृति दिये जाने से रुद्रपुर नगर के बाह्य क्षेत्र में व्यवस्थित व्यवसायिक परिसर उपलब्ध होगा, जिससे जन-सामान्य की आवश्यक वस्तुये रथानीय स्तर पर उपलब्ध हो सकेंगी। प्रश्नगत भूमि के पास गूल की रिस्ति से सम्बंधित वाद की कार्यवाही मा० न्यायालय में गयी। निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र मा० अवर न्यायालय द्वारा निस्तारित किया गया। यह स्पष्ट करना है कि मानचित्र सम्बंधी कोई स्वीकृति राजकीय सम्पत्ति, गूल, चकमार्ग, सड़क, पार्क आदि की भूमि छोड़ कर दी जाती है। प्रश्नगत भूमि जो प्रार्थी के नाम दर्ज है और जिसका भू-उपयोग औद्योगिक है, पर प्रस्तावित उपयोग जोनिंग रेगुलेशन के अनुसार व्यवसायिक करने की संस्तुति की जाती है। स्वीकृति से क्षेत्र के विकास में सकारात्मक प्रभाव बढ़ेगा। राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित होने से यातायात पर नकारात्मक प्रभाव नहीं होगा।

उपरोक्तानुसार प्रस्तावित निर्माण की अनुमति प्राधिकरण बोर्ड द्वारा अनुमन्य की जा सकती है। प्रकरण को प्राधिकरण की विगत बोर्ड बैठक में रखा गया था जिसपर बोर्ड द्वारा प्रदान किये गये निर्णय के अनुपालन में जिला शासकीय अधिवक्ता से विधिक राय प्राप्त की गयी जिसके अनुसार प्रश्नगत मानचित्र की नियमानुसार स्वीकृति किए जाने में कोई विधिक बाधा नहीं है। (परिशिष्ट-08)

अतः प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष संस्तुति सहित स्वीकृति हेतु प्रस्तुत।

कार्यवाही:- प्रस्ताव पर विचार-विमर्श किया गया। प्रकरण में सहयुक्त नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग हल्द्वानी की आव्याप्ति प्राप्त है। अतः स्वीकृति प्रदान की गयी।

विषय क्रमांक-05.15

ऑनलाईन मानचित्र संख्या-C-0014/USN/19-20 श्री भरत कुमार पुत्र श्री सुदर्शन कुमार दि अक्षय पात्र फाउन्डेशन द्वारा ग्राम फाजलपुर महरौला तहसील रुद्रपुर के खसरा नं०-54, 56, 57, 58 मी० कुल रक्षा 5625.00 वर्गमी० में प्रस्तावित Central Kitchen system for mid day meal के निर्माण हेतु प्रस्तुत मानचित्र के सम्बंध में।

श्री भरत कुमार पुत्र श्री सुदर्शन कुमार दि अक्षय पात्र फाउन्डेशन द्वारा ग्राम फाजलपुर महरौला तहसील रुद्रपुर के खसरा नं०-54, 56, 57, 58 मी० कुल रक्षा 5625.00 वर्गमी० में प्रस्तावित “Central Kitchen system for mid day meal” के निर्माण हेतु मानचित्र स्वीकृति हेतु इस कार्यालय को प्रस्तुत किया गया। प्रश्नगत रथल रुद्रपुर महायोजना 2031 के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग 87, 60.00 मी० चौड़े महायोजना मार्ग से लगा हुआ है जिसका भू-उपयोग सामुदायिक सुविधाएँ एवं सेवाएँ के अन्तर्गत प्रदर्शित है। रुद्रपुर महायोजना की जोनिंग रेगुलेशन के अनुसार प्राधिकरण बोर्ड की अनुमति उपरान्त अनुमन्य उपयोग के अन्तर्गत “शिक्षा के अनुषांगिक उपयोग, जो क्षेत्र के विकास हेतु आवश्यक हों तथा उपरोक्त किसी भी उपयोग के समतुल्य पाये जायें” की अनुमति प्रदान की जा सकती है। परिक्षेत्रीय विनियम रुद्रपुर में दिये गये प्राविधानों के अनुसार सामुदायिक सुविधा भू-उपयोग के अन्तर्गत “Central

"Kitchen system for mid day meal" का निर्माण शिक्षा के अनुपांगिक उपयोग के अन्तर्गत है। उक्त के निर्माण की स्वीकृति प्राधिकरण बोर्ड द्वारा दिये जाने का प्राविधान है।

उक्त भवन मानचित्र की तकनीकी जाँच एवं अनापत्ति/आपत्ति के सम्बंध में सहयुक्त नियोजक नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग हल्द्वानी से ली गयी। उनके द्वारा कार्यालय पत्रांक संख्या- 966/सेवा का अधिकार/मानचित्र आपत्ति/2019 दिनांक 05.09.2019 द्वारा कतिपय प्रतिबंधों के साथ अपनी अनापत्ति निर्गत की गयी। (परिशिष्ट-09) प्रस्तावित मानचित्र की तकनीकी जाँच भवन निर्माण एवं विकास उपविधि के प्रावधान के अनुसार निम्न प्रकार से है:-

	उपविधियों के अनुसार अनुमन्य	मानचित्र के अनुसार
Ground Coverage (in %)	35.00 प्रतिशत	20.09 प्रतिशत
FAR	1.00	0.20
FSB	9.00	9.00
RSB	6.00	6.00
SSB1	6.00	6.00
SSB2	6.00	6.00
Height of Building	30.00 मी०	7.00 मी०
Parking in ECS	16.90	17.00

प्रश्नगत प्रस्तावित निर्माण के निर्मित होने के उपरान्त चिह्नित राजकीय विद्यालयों में विद्यार्थियों को दोपहर में पौष्टिक भोजन उपलब्ध हो सकेगा। इस निर्माण से क्षेत्र में कोई नकरातमक प्रभाव नहीं पड़ेगा तथा महायोजना रुद्रपुर के परिक्षेत्रीय विनियमन के बिन्दु संख्या- 6.1.5.1 ख(08) के अन्तर्गत प्राधिकरण बोर्ड की अनुमति से प्रस्तावित कार्य "Central Kitchen system for mid day meal" भवन निर्माण अनुमन्य है।

अतः प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष संस्तुति साहित स्वीकृति हेतु प्रस्तुत।

कार्यवाही:- प्रस्ताव पर विचार-विमर्श उपरान्त स्वीकृति प्रदान की गयी।

विषय क्रमांक -05.16

कु0 पूर्वी गुंज्याल पुत्री श्री अशोक सिंह गुंज्याल निवासी जयनगर तहसील रुद्रपुर द्वारा ऑनलाईन मानचित्र संख्या-C-0079/USN/2019-20 एच०पी०सी०एल० सी०एन०जी० रिटेल आउटलेट का खसरा नं० 166 मी० ग्राम जयनगर तहसील रुद्रपुर जिला उधमसिंह नगर में मानचित्र स्वीकृत किये जाने के सम्बंध में।

आवेदिका कु0 पूर्वी गुंज्याल पुत्री श्री अशोक सिंह गुंज्याल खसरा नं०-166 मी० ग्राम जयनगर तहसील रुद्रपुर जिला उधमसिंह नगर में रिटेल आउटलेट मानचित्र स्वीकृति हेतु इस कार्यालय को प्रस्तुत किया गया। प्रश्नगत स्थल रुद्रपुर महायोजना के अन्तर्गत 60.00 मी० चौड़े महायोजना मार्ग से लगा हुआ है जिसका भू-उपयोग आवासीय है। परिक्षेत्रीय विनियम रुद्रपुर में दिये गये प्राविधानों के अनुसार आवासीय भू-उपयोग के अन्तर्गत फिलिंग स्टेशन का निर्माण की स्वीकृति प्राधिकरण बोर्ड द्वारा दिये जाने का प्राविधान है।

उक्त भवन मानचित्र की तकनीकी जाँच एवं अनापत्ति/आपत्ति के सम्बंध में सहयुक्त नियोजक नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग हल्द्वानी से ली गयी। उनके द्वारा कार्यालय पत्रांक संख्या-547/सेवा का अधिकार/मानचित्र आपत्ति/2019 दिनांक 04.07.2019 द्वारा कतिपय शर्तों के साथ अपना अनापत्ति दी गयी (परिशिष्ट-10)। प्रचलित भवन उपविधि के प्राविधानों के अनुसार प्रस्तावित नानचित्र की तकनीकी जाँच निम्नानुसार है:-

	उपविधि के अनुसार अनुमन्य	मानचित्र के अनुसार
Plot area	35 मी0 X 35 मी0	38 मी0 X 44 मी0
Buffer strip	लम्बाई-12.00 मी0, चौड़ाई-4.00 मी0	लम्बाई-12.00 मी0, चौड़ाई-4.00 मी0
RSB	3.00 मी0	3.00 मी0
SSB1	3.00 मी0	3.00 मी0
SSB2	3.00 मी0	3.00 मी0
FAR	0.05	0.027
Parking	80.00 वर्गमी0	80.00 वर्गमी0

मानचित्र पर निम्नलिखित विभागों से आवेदक द्वारा अनापत्ति प्रस्तुत की गयी है:- 01-उपजिलाधिकारी रुद्रपुर 02-लो०नि०वि० रुद्रपुर 03-मुख्य अग्निशमन अधिकारी, रुद्रपुर 04-पैट्रोलियम तथा विस्फोटक सुरक्षा संगठन आदि विभागों से अनापत्ति प्राप्त की गयी। मानचित्रों की तकनीकी जॉच की गयी तथा ०२००३००३००आर के अनुसार सैटबैक, एफ०ए०आर०, भू-आच्छादन, भवन की उचूई, पार्किंग क्षेत्रफल, आदि भवन उपविधि के नियमानुसार है, जो तकनीकी आधार पर सही पाया गया है।

चूंकि उत्तराखण्ड राज्य एक पर्यटन प्रदेश है। अतः रिटेल आउटलेट स्थापित होने से अवस्थापना सुविधाओं में भी वृद्धि होगी एवं आम जनता को भी इससे लाभ होगा। रिटेल आउटलेट के निर्माण इस क्षेत्र में कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। उपरोक्तानुसार मानचित्र तकनीकी दृष्टि से उपविधियों के अनुसार सही पाया गया है तथा महायोजना रुद्रपुर के परिक्षेत्रीय विनियमन के बिन्दु संख्या-6.1.1 ख(4) के अन्तर्गत प्राधिकरण बोर्ड की अनुमति से प्रस्तावित कार्य रिटेल आउटलेट अनुमन्य है तथा निर्माण की अनुमति प्राधिकरण बोर्ड द्वारा अनुमन्य किए जाने के उपरान्त निर्धारित शुल्क जमा करने दी जा सकेगी।

अतः प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष संस्तुति सहित स्वीकृति हेतु प्रस्तुत।

कार्यवाही:- प्रस्ताव पर चर्चा उपरान्त स्वीकृति प्रदान की गयी।

विषय क्रमांक -05.17

श्रीमती प्रियंका गम्भीर पल्ली श्री जगजीत गम्भीर नि०-शिमला पिस्तौर तहसील रुद्रपुर द्वारा शिमला पिस्तौर के खसरा नं० ६५६ मि० में रिटेल आउटलेट स्थापित किये जाने के सम्बंध में।

आवेदिका श्रीमती प्रियंका गम्भीर पल्ली श्री जगजीत गम्भीर द्वारा शिमला पिस्तौर तहसील रुद्रपुर जिला-उधसिंह नगर के खसरा नं० ६५६ मि० ग्राम शिमला पिस्तौर रुद्रपुर में पैट्रोल पम्प रिटेल आउटलेट मानचित्र स्वीकृति हेतु इस कार्यालय को प्रस्तुत किया गया। प्रश्नगत स्थल रुद्रपुर महायोजना के अन्तर्गत 45.00 मी० चौड़े महायोजना मार्ग से लगा हुआ है जिसका भू-उपयोग आवासीय प्रदर्शित है। परिक्षेत्रीय विनियम रुद्रपुर में दिये गये प्राविधानों के अनुसार आवासीय भू-उपयोग के अन्तर्गत पैट्रोल पम्प फिलिंग स्टेशन का निर्माण की स्वीकृति प्राधिकरण बोर्ड द्वारा दिये जाने का प्राविधान है।

उक्त मानचित्र की तकनीकी जॉच एवं अनापत्ति/आपत्ति के सम्बंध में सहयुक्त नियोजक नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग हल्द्वानी से ली गयी। उनके द्वारा कार्यालय पत्रोंक संख्या-903/सेवा का अधिकार/मानचित्र आपत्ति/2019 दिनांक 17.07.2019 द्वारा निम्न प्रतिवंधों के साथ अपना एवं तकनीकी आख्या प्रस्तुत की गयी (परिशिष्ठ-11)। कतिपय शर्तों के साथ अपना अनापत्ति दी गयी। प्रचलित भवन उपविधि के प्राविधानों के अनुसार प्रस्तावित मानचित्र की तकनीकी जॉच निम्नानुसार है:-

	उपविधि के अनुसार अनुमन्य	मानचित्र के अनुसार
Width of Road	30 मी०	45 मी० (महायोजना मार्ग)
Plot area	35 मी० x 35 मी०	35 मी० x 37.40 मी०
Buffer strip	लम्बाई-12.00 मी०, चौड़ाई-4.00 मी०	लम्बाई-12.00 मी०, चौड़ाई-4.00 मी०
RSB	3.00 मी०	3.00 मी०
SSB1	3.00 मी०	3.00 मी०
SSB2	3.00 मी०	3.00 मी०
FAR	0.05	0.025
Parking	80.00 वर्गमी०	80.00 वर्गमी०

मानचित्र पर निम्नलिखित विभागों से आवेदक द्वारा अनापत्ति प्रस्तुत की गयी है:- 01-लो०नि०वि० रुद्रपुर 02-मुख्य अग्निशमन अधिकारी, रुद्रपुर 03-उपजिलाधिकारी रुद्रपुर 04-जिला उधोग केन्द्र उधमसिंह नगर 05-कार्यालय जिलापूर्ति अधिकारी उधमसिंह नगर आदि विभागों से अनापत्ति प्राप्त की गयी। मानचित्रों की तकनीकी जाँच की गयी तथा सैटबैक, एफ०ए०आर०, भू-आच्छादन, भवन की उच्चाई, पार्किंग क्षेत्रफल आदि भवन उपविधि के नियमानुसार है, जो तकनीकी आधार पर सही पाया गया है।

प्रश्नगत प्रस्तावित रिटेल आउटलेट के आस-पास अन्य कोई फिलिंग स्टेशन शिमला पिस्तौर मार्ग पर न होने के कारण उक्त क्षेत्र के लोगों को ईंधन हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग पर नहीं आना पड़ेगा, जिससे राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात दबाव कम होगा। अतः पैट्रोल पम्प रिटेल आउटलेट स्थापित होने से अवस्थापना सुविधाओं में भी वृद्धि होगी एवं आम जनता को भी इससे लाभ होगा। स्थल के आस पास कोई आवासीय भवन आदि निर्मित नहीं है जिसके कारण पैट्रोल पम्प रिटेल आउटलेट के निर्माण से कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। उपरोक्तानुसार मानचित्र तकनीकी दृष्टि से उपविधियों के अनुसार सही पाया गया है तथा महायोजना रुद्रपुर के परिक्षेत्रीय विनियमन के बिन्दु संख्या-6.1.1 ख(4) के अन्तर्गत प्राधिकरण बोर्ड की अनुमति से प्रस्तावित कार्य रिटेल आउटलेट अनुमन्य है।

अतः प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष संस्तुति सहित स्वीकृति हेतु प्रस्तुत।

कार्यवाही:- प्रस्ताव पर विचार-विमर्श उपरान्त स्वीकृति प्रदान की गयी।

विषय क्रमांक-05.18

बी०पी०सी०एल० रिटेल आउटलेट द्वारा श्री रनदीप सिंह पुत्र श्री सतपाल सिंह आनलाईन मानचित्र संख्या-C-0067/USN/19-20 का खसरा नं०-13 ग्राम लालपुर तहसील रुद्रपुर जिला उधमसिंह नगर में मानचित्र स्वीकृत किये जाने के सम्बंध में।

श्री रनदीप सिंह पुत्र श्री सतपाल सिंह आनलाईन मानचित्र संख्या-C-0067/USN/19-20 का खसरा नं०-13 ग्राम लालपुर तहसील रुद्रपुर जिला उधमसिंह नगर में रिटेल आउटलेट मानचित्र स्वीकृति हेतु इस कार्यालय को प्रस्तुत किया गया। प्रश्नगत स्थल रुद्रपुर महायोजना 2031 के अन्तर्गत 60.00 मी० चौड़े महायोजना मार्ग से लगा हुआ है एवं प्रश्नगत भूखण्ड नगर निगम रुद्रपुर की सीमा से बाहर है, जिसका भू-उपयोग आवासीय प्रदर्शित है। परिक्षेत्रीय विनियम रुद्रपुर में दिये गये प्राविधानों के अनुसार आवासीय भू-उपयोग के अन्तर्गत पैट्रोल फिलिंग स्टेशन का निर्माण की स्वीकृति प्राधिकरण बोर्ड द्वारा दिये जाने का प्राविधान है।

प्रस्तावित मानचित्र की तकनीकी जाँच भवन निर्माण एवं विकास उपविधि के प्रावधान के अनुसार निम्न प्रकार से है:-

	उपविधियों के अनुसार अनुमन्य	मानचित्र के अनुसार
Width of Road	30 मी०	60 मी०
Plot area	30 मी० x 30 मी०	52.50 मी० x (60+50)/2 मी०
Buffer strip	लम्बाई-12.00 मी०, चौड़ाई-4.00 मी०	लम्बाई-27.00 मी०, चौड़ाई-4.00 मी०
RSB	3.00 मी०	3.00 मी०
SSB1	3.00 मी०	3.00 मी०
SSB2	3.00 मी०	3.00 मी०
FAR	0.05	0.015
Parking	80.00 वर्गमी०	80.00 वर्गमी०

मानचित्र पर निम्नलिखित विभागों से अनापत्ति प्राप्त की गयी है:- 01-तहसीलदार रुद्रपुर की छायाप्रति 02-मुख्य अग्निशमन अधिकारी, रुद्रपुर 03-जिला उघोग केन्द्र उधमसिंह नगर 04-जिला आपूर्ति अधिकारी उधमसिंह नगर आदि विभागों से अनापत्ति प्राप्त की गयी। मानचित्रों की तकनीकी जॉच करने पर सैटबैक, एफ0ए0आर0, भू-आच्छादन, भवन की उचौई, पार्किंग क्षेत्रफल, आदि भवन उपविधि के नियमानुसार हैं, जो तकनीकी आधार पर सही पाया गया है।

रुद्रपुर-किंच्चा राष्ट्रीय राजमार्ग पर सड़क के मध्य में सेन्ट्रल वर्ज विद्यमान है, तथा मार्ग में प्रस्तावित रिटेल आउटलेट की ओर के यातायात हेतु ईधन की सुलभ उपलब्धता हो सकेगी। अतः रिटेल आउटलेट स्थापित होने से अवरथापना सुविधाओं में भी वृद्धि होगी एवं आम जनता को भी इससे लाभ होगा। रिटेल आउटलेट के निर्माण से कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। उपरोक्तानुसार मानचित्र तकनीकी दृष्टि से उपविधियों के अनुसार सही पाया गया है तथा महायोजना रुद्रपुर के परीक्षेत्रीय विनियमन के बिन्दु संख्या-6.1.1 ख(4) के अन्तर्गत प्राधिकरण बोर्ड की अनुमति से प्रस्तावित कार्य रिटेल आउटलेट अनुमन्य है।

अतः प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष संस्तुति सहित स्वीकृति हेतु प्रस्तुत।

कार्यवाही:- चर्चा उपरान्त सर्वसम्मति से यह निर्णय लिय गया कि सहयुक्त नियोजक नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, हल्द्वानी से रिपोर्ट प्राप्त करते हुए प्रकरण आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत किया जाए।

विषय क्रमांक -05.19

आई0ओ0सी0एल0 रिटेल आउटलेट द्वारा ऑनलाइन मानचित्र संख्या-C-0074/USN/2019-20 श्री सुधांशु गाबा पुत्र श्री लेखराज गाबा, काशीपुर बाईपास रोड, रुद्रपुर खसरा नं0- 43/1/1 में मानचित्र स्वीकृत किये जाने के सम्बंध में।

आवेदक श्री सुधांशु गाबा पुत्र श्री लेखराज गाबा, काशीपुर बाईपास रोड, रुद्रपुर खसरा नं0- 43/1/1 में मानचित्र_स्वीकृति हेतु इस कार्यालय को प्रस्तुत किया गया। प्रश्नगत स्थल रुद्रपुर महायोजना के अन्तर्गत 45.00 मी० चौड़े महायोजना मार्ग से लगा हुआ है जिसका भू-उपयोग व्यवसायिक प्रदर्शित है। व्यवसायिक भू-उपयोग में पैट्रोल पम्प अनुमन्य है।

प्रश्नगत स्थल नगर पालिका क्षेत्र के अन्तर्गत है जिसमें दो पैट्रोल पम्पों की बीच की दूरी न्यूनतम 300.00 मी० होना आवश्यक है। परन्तु प्रश्नगत स्थल पर प्रस्तावित पैट्रोल पम्प से दूसरे पैट्रोल पम्प की दूरी 210.00 मी० है। भवन निर्माण एवं विकास उपविधि विनियम 2011, संशोधन(2015) के अनुसार पूर्व में नगर निकाय क्षेत्रों/पर्वतीय क्षेत्रों में दो पैट्रोल पम्प के बीच दूरी 30.00 मी० थी जिसे वर्तमान में शासनादेश संख्या-2013/V-2015-(आ0)/2006-टी0सी0 दिनांक 08.12.2015 के द्वारा 300.00 मी० कर दी गयी है।

मानचित्र पर निम्नलिखित विभागों से आवेदक द्वारा अनापत्ति पूर्व में प्राप्त की गयी है:- 01-नगर निगम रुद्रपुर 03-मुख्य अग्निशमन अधिकारी, उधमसिंहनगर 04-महाप्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र उधमसिंह नगर 05-विधुत वितरण खण्ड किंच्छा आदि विभागों से अनापत्ति प्राप्त की गयी।

यहाँ यह भी अवगत कराया जाना है कि निर्मित पैट्रोल पम्प काशीपुर बाईपास रोड निकट गावा चौक, रुद्रपुर में नगर निगम क्षेत्र के अन्तर्गत है। वर्तमान में उक्त रथल पर आवेदक द्वारा पैट्रोल पम्प के निर्माण हेतु ऑनलाइन मानचित्र प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तावित पैट्रोल पम्प की दूरी निर्मित पैट्रोल पम्प से 300.00 मी० से कम है। यहाँ यह भी अवगत कराना है कि काशीपुर बाईपास स्थित आवासीय एवं व्यवसायिक लोगों के लिए यह कॉफी सुविधाजनक रहेगा तथा जनता को एन०एन पर आने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, जिस कारण एन०एच० पर निर्बाध रूप से यातायात चल सकेगा।

प्रश्नगत प्रकरण में भवन उपविधि के अन्तर्गत दो पैट्रोल पम्प के मध्य 300.00 मी० दूरी के प्रावधान के दृष्टिगत 90 मी० की छूट दिये जाने का प्रस्ताव मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक उत्तराखण्ड की संस्तुति के साथ शासन को प्रेषित किया जना प्रस्तावित किया जाता है।

अतः प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष संस्तुति सहित स्वीकृति हेतु प्रस्तुत।

कार्यवाही:- प्रस्ताव पर गहन विचार-विमर्श किया गया। जिसमें यह निर्णय लिया गया कि आवेदक को अवगत करा दिया जाए कि वे सहयुक्त नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के हल्द्वानी स्थित कार्यालय में भी अपना आवेदन प्रस्तुत करें। मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक की तकनीकी राय/अभिसत प्राप्त होने के उपरान्त प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया जाए।

विषय क्रमांक – 05.20

आई०ओ०सी०एल० रिटेल आउटलेट द्वारा श्री मनीष कुमार, मुख्य प्रबन्धक आई०ओ०सी०एल० के मानचित्र जो कि खसरा नं० 487/1 मी० ग्रम बिगवाड़ा तहसील रुद्रपुर एन०एच० 09 जिला उधमसिंह नगर में मानचित्र स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।

आई०ओ०सी०एल० रिटेल आउटलेट द्वारा श्री मनीष कुमार, मुख्य प्रबन्धक आई०ओ०सी०एल० के मानचित्र जो कि खसरा नं० 487/1 मी० ग्रम बिगवाड़ा तहसील रुद्रपुर एन०एच० 09 जिला उधमसिंह नगर में रिटेल आउटलेट मानचित्र स्वीकृति हेतु इस कार्यालय को प्रस्तुत किया गया। प्रश्नगत रथल रुद्रपुर महायोजना के अन्तर्गत 60.00 मी० चौड़े महायोजना मार्ग से लगा हुआ है जिसका भू-उपयोग महायोजना मार्ग के पश्चात् उद्योग है। परिक्षेत्रीय विनियम रुद्रपुर में दिये गये प्राविधानों के अनुसार उद्योग भू-उपयोग के अन्तर्गत रिटेल आउटलेट के निर्माण की स्वीकृति रुद्रपुर से अनुमन्य है। प्रचलित भवन उपविधि के प्राविधानों के अनुसार प्रस्तावित मानचित्र की तकनीकी जाँच निमानुसार है:-

	उपविधि के अनुसार अनुमन्य	मानचित्र के अनुसार
Plot area	25 मी० x 35 मी०	100 मी० x 90 मी०
Buffer strip	लम्बाई-5.00 मी०, चौड़ाई-3.00 मी०	लम्बाई-69.00 मी०, चौड़ाई-3.00 मी०
RSB	3.00 मी०	3.00 मी०
SSB1	3.00 मी०	3.00 मी०
SSB2	3.00 मी०	3.00 मी०
FAR	0.05	0.05

Parking	80.00 वर्गमी०	705.00 वर्गमी०
उक्त मानचित्र पर कार्यालय जिलाधिकारी उधमसिंह नगर के		
पत्रांक-14390 / जे००४०-०४-२०१९ दिनांक 02.02.2019 के द्वारा अनापत्ति प्रदान की गयी है। (परिशिष्ट-12)		

उक्त रिटेल आउटलेट कम्पनी द्वारा पब्लिक यूटिलिटी की सुविधा सहित प्रस्तावित किया गया है तथा आई०००८०१०५०एल द्वारा स्वयं संचालित किये जाने हेतु प्रस्ताव दिया गया है। रिटेल आउटलेट स्थापित होने से अवश्यापना सुविधाओं में भी वृद्धि होगी एवं पब्लिक यूटिलिटी सुविधाएँ उपलब्ध कराए जाने से आम जनता को फायदा पहुँचेगा, प्रस्तावित निर्माण से इस क्षेत्र में कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। महायोजना रुद्रपुर के परिक्षेत्रीय विनियमन के बिन्दु संख्या-6.1.3 ख(13) के अन्तर्गत प्राधिकरण बोर्ड की अनुमति से प्रस्तावित कार्य रिटेल आउटलेट अनुमत्य है।

अतः प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष संस्तुति सहित स्वीकृति हेतु प्रस्तुत।

कार्यवाही:- प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की गयी। प्रकरण पर सहयुक्त नियोजक नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, हल्द्वानी से भी आख्या प्राप्त करते हुए स्वीकृति सम्बंधी कार्यवाही की जाय।

विषय क्रमांक – 05.21

ए०पी०सी०एल० रिटेल आउटलेट द्वारा श्री वीर मानवेन्द्र सिंह पुत्र श्री वीर प्रताप सिंह आनलाईन मानचित्र संख्या-C-0033/USN/19-20 का प्लाट नं०-681, 682 किंच्चा तहसील किंच्चा जिला उधमसिंह नगर में मानचित्र स्वीकृति किये जाने के सम्बंध में।

आवेदक श्री वीर मानवेन्द्र सिंह पुत्र श्री वीर प्रताप सिंह आनलाईन मानचित्र संख्या-C-0033/USN/19-20 द्वारा खसरा नं०-681, 682 तहसील किंच्चा जिला उधमसिंह नगर में मानचित्र_स्वीकृति हेतु इस कार्यालय को प्रस्तुत किया गया। प्रश्नगत स्थल किंच्चा महायोजना के अन्तर्गत 150 फिट चौड़े महायोजना मार्ग से लगा हुआ है जिसका भू-उपयोग कार्यालय प्रदर्शित है। उक्त भू-उपयोग में पैट्रोल पम्प का निर्माण प्राधिकरण बोर्ड से अनुमत्य है।

जिलाधिकारी कार्यालय उधमसिंह नगर के द्वारा अनापत्ति प्रदत्त की गयी है। जिसके अनुसार आवेदक को मानचित्र स्वीकृत करने की शर्त पर अनापत्ति प्रदत्त की गयी है। प्रश्नगत स्थल नगर पालिका क्षेत्र के अन्तर्गत है जिसमें दो पैट्रोल पम्पों की बीच की दूरी न्यूनतम 300.00 मी० होना आवश्यक है। परन्तु प्रश्नगत स्थल पर प्रस्तावित पैट्रोल पम्प से दूसरे पैट्रोल पम्प की दूरी 240.00 मी० है। भवन निर्माण एवं विकास उपविधि विनियम 2011, संशोधन(2015) के अनुसार पूर्व में नगर निकाय क्षेत्रों/पर्वतीय क्षेत्रों में दो पैट्रोल पम्प के बीच दूरी 30.00 मी० थी जिसे वर्तमान में शासनादेश संख्या-2013/V-2015-(आ०)/2006-टी०सी० दिनांक 08.12.2015 (परिशिष्ट-13) के द्वारा 300.00 मी० कर दी गयी है। श्री राकेश कुमार विक्रम अधिकारी, ए०पी०सी०एल० उधमसिंह नगर के द्वारा अवगत कराया गया है कि ग्रम किंच्चा रिथित प्लाट संख्या-681, 682 में ए०पी०सी०एल० का पम्प 1953 से 2010 तक चलता रहा। कुछ विशेष परिस्थितियों के कारण रिथित पैट्रोल पम्प का कार्य रिथित हो गया। पुनः उस पैट्रोल पम्प को ए०पी०सी०एल० आरम्भ करना चाहती है।

मानचित्र पर निम्नलिखित विभागों से आवेदक द्वारा अनापत्ति पूर्व में प्राप्त की गयी है- 01-तहसील किंच्चा 02-लो०नि०वि० किंच्चा 03-मुख्य अनिशमन अधिकारी उधमसिंह नगर 04-महाप्रबन्धक जिला उघोग केन्द्र उधमसिंह नगर 05-विघुत वितरण खण्ड उधमसिंह नगर आदि विभागों से अनापत्ति ग्राप्त की गयी।

वर्तमान में उक्त स्थल पर आवेदक द्वारा पैट्रोल पम्प के निर्माण हेतु ऑनलाईन मानचित्र प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तावित पैट्रोल पम्प का भू-उपयोग कार्यालय के अन्तर्गत आता है तथा प्रस्तावित पैट्रोल पम्प निर्मित पैट्रोल पम्प से 300.00 मी० से कम दूरी पर है।

प्रश्नगत प्रकरण में भवन उपविधि के अन्तर्गत दो पैट्रोल पम्प के मध्य 300.00 मी० दूरी के प्रावधान के दृष्टिगत 60 मी० की छूट दिये जाने का प्रस्ताव मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक उत्तराखण्ड की संस्तुति के साथ शासन को प्रेषित किया जना प्रस्तावित किया जाता है।

अतः प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष संस्तुति सहित स्वीकृति हेतु प्रस्तुत।

कार्यवाही:- प्रस्ताव पर विस्तृत विचार-विसर्फ किया गया। शासनादेश संख्या-467/V-2/24(आ) /2019 दिनांक 27. 08.2019 के अनुसार आवेदक नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग हल्द्वानी में आवेदन प्रस्तुत करें। मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक की अभियान/तकनीकी आख्या प्राप्त होने के उपरान्त भवन निर्माण एवं विकास उपविधि के दूरी के मानक की छूट के सम्बंध में प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया जाए।

विषय क्रमांक-05.22

एच०पी०सी०एल० देहरादून के अधिकृत डीलर श्री कृष्ण कुमार अग्रवाल पुत्र श्री विजय कुमार अग्रवाल नि०-बाजपुर रोड तहसील काशीपुर जिला उधमसिंह नगर के खसरा नं० 83/1 मी०, सॉडखेड़ा में रिटेल आउटलेट मानचित्र स्वीकृति की प्रस्तुति किये जाने के सम्बंध में।

आवेदक श्री कृष्ण कुमार अग्रवाल पुत्र श्री विजय कुमार अग्रवाल नि०-बाजपुर रोड तहसील काशीपुर जिला उधमसिंह नगर के खसरा नं० 83/1 मी०, सॉडखेड़ा में रिटेल आउटलेट मानचित्र स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया गया। प्रश्नगत स्थल काशीपुर काशीपुर महायोजना के अन्तर्गत 60.00 मी० चौड़े महायोजना मार्ग से लगा हुआ है। तदोपरान्त जिसका भू-उपयोग वृहद उघोग भू-उपयोग के अन्तर्गत पैट्रोल फिलिंग स्टेशन का निर्माण प्राधिकरण बोर्ड द्वारा दिये जाने का प्रावधान है।

उक्त भवन मानचित्र की तकनीकी जाँच एवं अनापत्ति/आपत्ति के सम्बंध में सहयुक्त नियोजक नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग हल्द्वानी से ली गयी। उनके द्वारा कार्यालय पत्रांक संख्या-629/सेवा का अधिकार/मानचित्र आपत्ति/2019 दिनांक 25.02.2019 द्वारा कतिपय प्रतिबंधों के साथ अपना अनापत्ति एवं तकनीकी आख्या प्रस्तुत की गयी। (परिशिष्ठ-14) प्रचलित भवन उपविधि के प्राविधानों के अनुसार प्रस्तावित मानचित्र की तकनीकी जाँच निमानुसार है:-

उपविधियों के अनुसार अनुमन्य		मानचित्र के अनुसार
Width of Road	30 मी०	60 मी०
Plot area	35 मी० X 35 मी०	60 मी० X 60 मी०
Buffer strip	लम्बाई-12.00 मी०, चौड़ाई-4.00 मी०	लम्बाई-36.00 मी०, चौड़ाई-4.00 मी०
RSB	3.00 मी०	3.00 मी०
SSB1	3.00 मी०	3.00 मी०
SSB2	3.00 मी०	3.00 मी०
FAR	0.05	0.023
Parking	80.00 वर्गमी०	80.00 वर्गमी०

मानचित्र पर आवेदक द्वारा प्रस्तुत निम्नलिखित अन्य विभागों से अनापत्ति प्राप्त की गयी:-
 01-उपजिलाधिकारी/ तहसील काशीपुर 02-लोनिवि० हल्द्वानी 03-मुख्य अग्निशमन अधिकारी, उधमसिंह नगर
 04-पैट्रोलियम तथा विस्फोटक सुरक्षा संगठन आदि विभागों से अनापत्ति प्राप्त की गयी। मानचित्रों की तकनीकी जॉच करने पर सैटबैक, एफ०ए०आर०, भू-आच्छादन, भवन की उचौई, पार्किंग क्षेत्रफल, रेनवाटर हार्डस्टिंग आदि भवन उपविधि के नियमानुसार है, जो तकनीकी आधार पर सही पाया गया है।

प्रस्तावित रिटेल आउटलेट काशीपुर-रुद्रपुर मार्ग पर है। प्रस्तावित फिलिंग स्टेशन के 1.5 कि०मी० तक कोई अन्य पैट्रोल पम्प स्थित नहीं है, इस कारण से प्रस्तावित रिटेल आउटलेट निर्माण से यातायात को सुलभ रूप से ईंधन आपूर्ति हो सकेगी, पैट्रोल पम्प रिटेल आउटलेट स्थापित होने से अवश्यपना सुविधाओं में भी वृद्धि होगी एवं आम जनता को भी इससे लाभ होगा। प्रस्तावित पैट्रोल पम्प रिटेल आउटलेट के निर्माण से कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। उपरोक्तानुसार मानचित्र तकनीकी दृष्टि से उपविधियों के अनुसार सही पाया गया है तथा महायोजना काशीपुर के परिक्षेत्रीय विनियमन के बिन्दु संख्या- 12.3.4(1) ख(13) के अन्तर्गत प्राधिकरण बोर्ड की अनुमति से प्रस्तावित कार्य रिटेल आउटलेट अनुमन्य है।

प्रश्नगत परियोजना राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित है। उक्त मार्ग पूर्व दो लेन की थी। वर्तमान उक्त मार्ग चार लेन की बनायी गयी है तथा मार्ग के मध्य में डिवाईडर स्थापित है। अतः परियोजना की तरफ के यातायात को लाभ होगा।

अतः प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष संस्तुति सहित स्वीकृति हेतु प्रस्तुत।

कार्यवाही:- प्रस्ताव पर विचार-विमर्श उपरान्त स्वीकृति प्रदान की गयी।

विषय क्रमांक-05.23

एच०पी०सी०एल० सी०एन०जी० आउटलेट द्वारा श्रीमती विजय लक्ष्मी राठौर पत्नी श्री शशांक कौशिक आनलाईन मानचित्र संख्या-C-20/USN/19-20 का खसरा नं०-369 मी० ग्राम कचनालगाजी तहसील काशीपुर जिला उधमसिंह नगर में मानचित्र स्वीकृत किये जाने के सम्बंध में।

श्रीमती विजय लक्ष्मी राठौर पत्नी श्री शशांक कौशिक द्वारा कचनालगाजी तहसील काशीपुर जिला उधमसिंह नगर के खसरा नं०-369 में रिटेल आउटलेट मानचित्र स्वीकृति हेतु इस कार्यालय को प्रस्तुत किया गया। प्रश्नगत स्थल काशीपुर महायोजना के अन्तर्गत 30.00 मी० चौड़े महायोजना मार्ग से लगा हुआ है एवं प्रश्नगत भूखण्ड नगर निगम काशीपुर की सीमा के अन्तर्गत आता है, जिसका भू-उपयोग आवासीय प्रदर्शित है। परिक्षेत्रीय विनियम काशीपुर में दिये गये प्राविधानों के अनुसार आवासीय भू-उपयोग के अन्तर्गत पैट्रोल फिलिंग स्टेशन का निर्माण की स्वीकृति प्राधिकरण बोर्ड द्वारा दिये जाने का प्राविधान है।

उक्त भवन मानचित्र की तकनीकी जॉच एवं अनापत्ति/आपत्ति के सम्बंध में सहयुक्त नियोजक नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग हल्द्वानी से ली गयी। उनके द्वारा कार्यालय पत्रांक संख्या-860/सेवा का अधिकार/मानचित्र आपत्ति/2019 दिनांक 28.06.2019 द्वारा कतिपय प्रतिबंधों के साथ अपनी अनापत्ति निर्गत की गयी। (परिशिष्ट-15) प्रस्तावित मानचित्र की तकनीकी जॉच भवन निर्माण एवं विकास उपविधि के प्रावधान के अनुसार निम्न प्रकार से है:-

	उपविधियों के अनुसार अनुमन्य	मानचित्र के अनुसार
Width of Road	30 मी०	60 मी०
Plot area	30 मी० x 30 मी० (नगर निगम सीमा अन्तर्गत)	30 मी० x 30 मी०
Buffer strip	लम्बाई-5.00 मी०, चौड़ाई-3.00 मी०	लम्बाई-12.00 मी०, चौड़ाई-4.00 मी०
RSB	3.00 मी०	3.00 मी०
SSB1	3.00 मी०	3.00 मी०
SSB2	3.00 मी०	3.00 मी०
FAR	0.05	0.02
Parking	80.00 वर्गमी०	80.00 वर्गमी०

मानचित्र पर निम्नलिखित विभागों से अनापत्ति प्राप्त की गयी है:- 01-तहसील काशीपुर 02-लो०नि०वि० काशीपुर 03-मुख्य अग्निशमन अधिकारी, काशीपुर 04-जिला उद्योग केन्द्र उधमसिंह नगर आदि विभागों से अनापत्ति प्राप्त की गयी। मानचित्रों की तकनीकी जॉच करने पर सैटबैक, एफ०ए०आर०, भू-आच्छादन, भवन की उचौंई, पार्किंग ब्लैकफल, आदि भवन उपविधि के नियमानुसार है, जो तकनीकी आधार पर सही पाया गया है।

चूंकि उत्तराखण्ड राज्य एक पर्यटन प्रदेश है। अतः रिटेल आउटलेट स्थापित होने से अवस्थापना सुविधाओं में भी वृद्धि होगी एवं आम जनता को भी इससे लाभ होगा। काशीपुर शहर तेजी से शहरीकरण की ओर बढ़ रहा है। वर्तमान में उक्त स्थल के आस-पास कोई पैट्रोल पम्प निर्मित नहीं है। पैट्रोल पम्प की स्थापना से लोगों को शहर के अन्दर नहीं आना पड़ेगा जिससे ट्रैफिक जाम की परेशानी नहीं होगी। रिटेल आउटलेट के निर्माण से कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। उपरोक्तानुसार मानचित्र तकनीकी दृष्टि से उपविधियों के अनुसार सही पाया गया है तथा महायोजना काशीपुर के परीक्षेत्रीय विनियमन के बिन्दु संख्या-12.3.1(1) ख(4) के अन्तर्गत प्राधिकरण बोर्ड की अनुमति से प्रस्तावित कार्य रिटेल आउटलेट अनुमन्य है।

अतः प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष संस्तुति सहित स्वीकृति हेतु प्रस्तुत।

कार्यवाही:- प्रस्ताव पर विचार-विमर्श उपरान्त स्वीकृति प्रदान की गयी।

विषय क्रमांक -05.24

एच०पी०सी०एल० सी०एन०जी० रिटेल आउटलेट द्वारा श्री संजय कुमार, ज्ञानेश कुमार आनलाईन मानचित्र संख्या-C-40/USN/19-20 का खसरा नं०-376/1, 376/2 तथा 375 मी० ग्राम जसपुर खुर्द तहसील काशीपुर जिला उधमसिंह नगर में मानचित्र स्वीकृत किये जाने के सम्बंध में।

आवेदक श्री संजय कुमार, ज्ञानेश कुमार द्वारा कुन्देश्वरी रोड तहसील काशीपुर जिला उधमसिंह नगर के खसरा नं०-376/1, 376/2 तथा 375 ग्राम जसपुर खुर्द तहसील काशीपुर जिला उधमसिंह नगर में रिटेल आउटलेट मानचित्र स्वीकृति हेतु इस कायालय को प्रस्तुत किया गया। प्रश्नगत स्थल काशीपुर महायोजना के अन्तर्गत 30.00 मी० चौड़े महायोजना मार्ग से लगा हुआ है जिसका भू-उपयोग आवासीय प्रदर्शित है। प्रस्तावित फिलिंग रटेशन का भू-खण्ड गोविषाण टीले के निकट है, जो कि आवेदक द्वारा 279.00 मी० दूरी दर्शाई गयी है। अतः ए०एस०आई० विभाग (संस्कृति विभाग उत्तराखण्ड) की अनापत्ति आवश्यक होगी। उक्त हेतु आवेदक द्वारा ए०एस०आई० विभाग की अनापत्ति हेतु संस्कृति विभाग उत्तराखण्ड में आवेदन दिनांक 03.08.2019 को किया गया है।

उक्त भवन मानचित्र की तकनीकी जॉच एवं अनापत्ति/आपत्ति के सम्बंध में सहयुक्त नियोजक नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग हल्द्वानी से ली गयी। उनके द्वारा कार्यालय पत्रांक संख्या-859/सेवा का अधिकार/मानचित्र

आपत्ति / 2019 दिनांक 28.06.2019 द्वारा कतिपय प्रतिबंधों के साथ तकनीकी आख्या प्रस्तुत की गयी। (परिशिष्ट-16) प्रस्तावित मानचित्र की तकनीकी जॉच भवन निर्माण एवं विकास उपविधि के प्रावधान के अनुसार निम्न प्रकार से है:-

	उपविधियों के अनुसार अनुमन्य	मानचित्र के अनुसार
Width of Road	30 मी०	60 मी०
Plot area	35 मी० x 35 मी०	35 मी० x 40 मी०
Setback		
Buffer strip	लम्बाई-5.00 मी०, चौड़ाई-3.00 मी०	लम्बाई-10.00 मी०, चौड़ाई-4.00 मी०
RSB	3.00 मी०	3.00 मी०
SSB1	3.00 मी०	3.00 मी०
SSB2	3.00 मी०	3.00 मी०
FAR	0.05	0.032
Parking	80.00 वर्गमी०	80.00 वर्गमी०

मानचित्र पर निम्नलिखित विभागों से आवेदक द्वारा अनापत्ति प्रस्तुत की गयी है:- 01-तहसील काशीपुर 02-लो०नि०वि० काशीपुर 03-मुख्य अग्निशमन अधिकारी, काशीपुर 04-महाप्रबन्धक जिला उघोग केन्द्र उधमसिंह नगर 05-उपजिलाधिकारी काशीपुर 06-विघुत वितरण खण्ड काशीपुर आदि विभागों से अनापत्ति प्राप्त की गयी। मानचित्रों की तकनीकी जॉच की गयी करने पर सैटबैक, एफ०ए०आर०, भू-आच्छादन, भवन की उचौई, पार्किंग क्षेत्रफल, आदि भवन उपविधि के नियमानुसार है, परन्तु प्रकरण में ए०एस०आई० विभाग (संस्कृति विभाग उत्तराखण्ड) की अनापत्ति प्राप्त होने के उपरान्त मानचित्र पत्रावली पर अग्रेतर कार्यवाही की जा सकेगी।

उक्त स्थल के आस पास लगभग 2 कि०मी० तक कोई पैट्रोल पम्प स्थित नहीं है जिसके कारण रिटेल आउटलेट के निर्माण से कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। रिटेल आउटलेट स्थापित होने से अवरथापना सुविधाओं में भी वृद्धि होगी तथा इस क्षेत्र की जनता को भी इससे लाभ होगा। उपरोक्तानुसार मानचित्र तकनीकी दृष्टि से उपविधियों के अनुसार सही पाया गया है तथा महायोजना काशीपुर के परीक्षेत्रीय विनियमन के बिन्दु संख्या-12.3.1 (1)ख(4) के अन्तर्गत प्राधिकरण बोर्ड की अनुमति से प्रस्तावित कार्य रिटेल आउटलेट अनुमन्य है।

अतः प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष संस्तुति सहित स्वीकृति हेतु प्रस्तुत।

कार्यवाही:- प्रस्ताव पर विचार-विमर्श उपरान्त स्वीकृति प्रदान की गयी। प्रकरण में ए०एस०आई० विभाग (संस्कृति विभाग उत्तराखण्ड) की अनापत्ति/आपत्ति प्राप्त होने के उपरान्त नियमानुसार अग्रेतर कार्यवाही की जाय।

विषय क्रमांक-05.25

अन्य विन्दु अध्यक्ष महोदय की अनुमति से।

➤ जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण उधमसिंह नगर कार्यालय भवन निर्माण के सम्बंध में।

कार्यवाही:- जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, उधमसिंह नगर कार्यालय भवन के सम्बंध में प्रस्तुतीकरण दिया गया, जिसपर मा० आयुक्त कुमाऊँ मण्डल नैनीताल/अध्यक्ष जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण उधमसिंह नगर महोदय द्वारा जिलाधिकारी उधमसिंह नगर से प्रश्नगत परियोजना के लिए पूर्व आवंटित की गयी भूमि से अधिक भूमि उपलब्ध/आवंटित करने हेतु कहा गया एवं उनके द्वारा कार्यालय भवन के सम्बंध में आन्तरिक साज-सज्जा का विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया गया साथ ही निम्न विन्दुओं को भी समिलित करने का सुझाव दिया गया :-

- ❖ कार्यालय भवन का निर्माण कार्पोरेट ऑफिस की तरह किया जाए।
- ❖ कार्यालय भवन के लॉन हेतु पर्याप्त जगह छोड़ी जानी चाहिए।
- ❖ कार्यालय भवन हेतु न्यूनतम क्षेत्र में अधिकतम पार्किंग होनी चाहिए जिसमें स्टॉफ हेतु रिजर्व पार्किंग तथा आगुन्तकों हेतु पृथक से पार्किंग की सुविधा होनी चाहिए।
- ❖ कार्यालय भवन का निर्माण इस तरह से किया जाना चाहिए कि सभी कमरों में प्राकृतिक रोशनी/हवा उपलब्ध हो सके।
- ❖ सचिव तथा उपाध्यक्ष के कमरों में पर्याप्त कुर्सी रखने की क्षमता हो।
- ❖ उपाध्यक्ष के कक्ष से लगा हुआ रूम होना चाहिए।
- ❖ हर कॉफेन्स हॉल/कक्ष में प्रोजेक्टर प्रेजेंटेशन की सुविधा होनी चाहिए।
- ❖ कार्यालय भवन में कैन्टीन होनी चाहिए जहाँ स्वादिष्ट एवं स्वच्छ भोजन तैयार हो सके।
- ❖ कार्यालय भवन में इलैक्ट्रोनिक काउन्टर प्रणाली और मानव सम्पर्क कम होना चाहिए तथा प्राधिकरण कार्यालय में आने वाले प्रत्येक आगुन्तक की आने-जाने की रजिस्टर/ऑनलाइन सिस्टम में एन्ट्री होनी चाहिए।
- ❖ कार्यालय भवन हेतु पुरुष और महिला काउन्टर अलग-अलग होने चाहिए।
- ❖ मुख्य/स्वागत कक्ष, कार्यालय के प्रवेश पर हो।
- ❖ कार्यालय भवन में आधुनिक एवं स्वच्छ शौचालय व्यवस्था होनी चाहिए।
- ❖ कार्यालय भवन में सेन्ट्रलाइज्ड हीटिंग/कूलिंग सिस्टम होना चाहिए।
- ❖ प्रत्येक अनुभाग हेतु अलग-अलग कर्मचारियों के बैठने की सुविधा इस प्रकार होनी चाहिए कि अनुभाग हेड, कर्मचारियों को एवं कर्मचारी अनुभाग हेतु को कार्यरत देख भी सके।
- ❖ कार्यालय भवन सी०सी०टी०वी० के प्रबन्धन/निगरानी में होना चाहिए।
- ❖ कार्यालय भवन में फाईलों/रिकार्ड के उचित रख-रखाव हेतु आधुनिक रिकार्ड रूम की व्यवस्था होनी चाहिए।
- ❖ कार्यालय भवन उसके अन्तर्गत समर्त कक्षों, शौचालयों तथा लॉन की सॉफ-सफाई एवं उचित रख-रखाव हेतु मानव संसाधन की व्यवस्था होनी चाहिए।
- ❖ कार्यालय भवन निर्माण हेतु ECBC (Energy Conservation Building Code) के प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यालय भवन का निर्माण कराया जाए।
- ❖ कार्यालय भवन हेतु अत्यधुनिक माडयूलर फर्नीचर एवं फिक्सचर का उपयोग किया जाए।

> जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण उधमसिंह नगर द्वारा अनेक पर्यटन क्षेत्रों को जाने वाला मार्ग उधमसिंह नगर के विभिन्न क्षेत्र में प्रवेश गेट बनाए जाने के सम्बंध में।

उत्तराखण्ड प्रदेश का कुमाऊँ मण्डल पर्यटन की दृष्टि से समृद्ध है। कार्बटपार्क, नैनीताल, भीमताल, नौकुचियाताल, सात-ताल, रानीखेत, कौशानी, विनसर, जागेश्वर सहित अनेक पर्यटन क्षेत्रों को जाने वाला मार्ग उधमसिंह नगर के विभिन्न क्षेत्रों से गुजरता है जसपुर, काशीपुर, बाजपुर, रुद्रपुर, किंच्छा, सितारगंज, खटीमा में अनेक प्रवेश मार्ग स्थित हैं। एन०एच० 74 पर जसपुर में, एन०एच 87 / 125 पर रुद्रपुर में, बरेली मार्ग पर पुलभट्टा के पास प्रथम चरण में प्रवेश गेट बनाये जाने के प्रस्ताव का प्रस्तुतीकरण किया गया। चर्चा उपरान्त सेंद्रान्तिक सहमति प्रदान करते हुए विरस्तुत डी०पी०आ०० तैयार कर कार्यवाही की जाय। जिलाधिकारी महोदय उधमसिंह नगर को भी इससे अवगत कराया गया कि उक्त गेटों का निर्माण निजी कम्पनियों/व्यक्तियों द्वारा भी सी०सी०आ०० से कराया जा सकता है। प्राधिकरण डिजाइन व स्वीकृति औपचारिकताएँ पूर्ण कर अवगत कराएँगे। इस सम्बंध में जिलाधिकारी उधमसिंह नगर से समन्वय स्थापित कर अग्रिम कार्यवाही की जाय।

➤ जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण उधमसिंह नगर द्वारा चौराहों के सौंदर्यकरण किए जाने के सम्बंध में।

• स्टेडियम चौक काशीपुर	—रु0 20.90 लाख
• चैती चौराहा काशीपुर	—रु0 28.70 लाख
• खटीमा-टनकपुर चौराहा	—रु0 10.37 लाख
• तहसील खटीमा के सामने रोडसाईड सौंदर्यकरण का कार्य	—रु0 84.87 लाख
• आदित्य चौक किच्छा	—रु0 10.91 लाख
• सितारगंज	—रु0 28.21 लाख
• बाजपुर दोराहा	—रु0 10.24 लाख

उक्त चौराहों के सौंदर्यकरण हेतु प्रस्तुतीकरण किया गया तथा यह निर्देश दिये गये कि उक्त प्रस्तावों पर सहमति प्राप्त किये जाने हेतु अवश्यमना समिति के समक्ष रखा जाये।

अन्त में मा० अध्यक्ष द्वारा बैठक में उपरिथित समर्त को धन्यवाद प्रदान करने के साथ बैठक विसर्जित की गयी।

उपाध्यक्ष

जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण
उधमसिंह नगर

आयुक्त / अध्यक्ष

जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण
उधमसिंह नगर